

धारा 107 दं०प्र०सं०

वाद सं० 16/2017 दिनांक 02/06/2017

प्रथम पक्ष — श्री गणेश महतो उम्र 45 वर्ष पति स्व० जनक महोत बगैरह..... ।

बनाम

द्वितीय पक्ष — श्री रामबालक महतो उम्र 45 वर्ष पिता चैता महतो सा० तेतरा बगैरह..... ।

आदेश

उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 02/2017 दिनांक 02/06/2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) श्री गणेश मुण्डा उम्र 45 वर्ष पे० स्व० जनक महतो (2) सुनिता देवी उम्र 20 वर्ष पिता गणेश महतो (3) सरीता देवी पति राजु महतो तीनों सा० तेतरा टोली कुरकुरा बनाम द्वितीय पक्ष (1) रामबालक महतो उम्र 45 वर्ष पिता चैतु महतो (2) मालावती देवी उम्र 40 वर्ष पिता रामबालक महतो (3) राजेन्द्र महतो उम्र 20 वर्ष (4) ललीता कुमारी उम्र 18 वर्ष तीनों का पिता रामबालक महतो सभी सा० तेतरा टोली थाना कामडारा जिला गुमला। के बीच शादी की बात काटने को लेकर आपसी विवाद को लेकर आपसी विवाद है उभय पक्षों के बीच शांति भंग होने की सम्भावना को लेकर न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-

प्रथम पक्ष के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

उभय पक्ष सिर्फ न्यायालय में उपस्थित होते हैं इनके अधिवक्ता या स्वयं के द्वारा किसी प्रकार का लिखित जवाब दाखिल नहीं किया गया है साक्ष्य स्वरूप गवाहों की उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है। वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है साथ ही उभय पक्ष द्वारा न्यायालय के बाहर आपसी सुलहकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में सुलहनामा पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों के द्वारा किसी प्रकार का शांति व्यवस्था भंग नहीं होने एवं उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा पत्र के आधार पर उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनुमंडल दंडाधिकारी
बसिया।